

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30-05-2021

आज दिनांक 30.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1543 रुपये नकद व ताश के 208 पत्तों के साथ 10 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – विजय साहनी पुत्र महन्त निवासी सानी केवटलिया 2- अजीज अहमद पुत्र अतीउल्लाह निवासी भीतरी मोहल्ला 3- गोलू उर्फ शिवदास पुत्र रामलखन निवासी अक्वलकेवटलिया थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को 480 रुपये मालफड़, 220 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 135/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार, का0 रत्नेश सिंह, का0 हिमांशु मिश्रा।

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1 – सुरेश मद्धेशिया पुत्र बाबूलाल 2- राजकुमार चौधरी पुत्र बजरंगी निवासीगण वार्ड नं0 10 राजीवनगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 100 रुपये मालफड़, 50 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 163/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, का0 सलमान अंसारी, का0 रविकान्त यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1 – मिश्रीलाल पुत्र राधेश्याम 2- मनोहर पुत्र प्रेमचन्द निवासी मंगलबाजार कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 123 रुपये मालफड़, 180 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 155/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0का0 जयराम सरोज, का0 धनश्याम त्रिपाठी, का0 विकास साहनी ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – पंकज पुत्र रामकमल निवासी मंगलबाजार 2- गोलू पुत्र कोईल साहनी निवासी मेडरापार 3- सिक्की पुत्र रामशंकर निवासी मंगलबाजार कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 170 रुपये मालफड़, 220 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 156/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0का0 कलीमुद्दीन खां, हे0का0 सुधीर सिंह, का0 रजनेश पाण्डेय, का0 पंकज साहू ।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 03 अदद अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता सबरे आलम पुत्र सेराजुद्दीन निवासी कोइलसा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 181 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह, हे0का0 रामपाल तिवारी, हे0का0 कैलाश पाण्डेय ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता संतोष साहनी पुत्र दयाराम निवासी अक्वलकेवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 134 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामनाथ यादव मय हमराह ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता रामसागर चौहान पुत्र प्रेमचन्द चौहान निवासी दुधराकला थाना धनघटा जनपद

संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 269 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री पवन कुमार, का0 संजय सिंह ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 328 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 27 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 10-05-10-10-10-10-10-10-10-10- 35 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड(200 मिली प्रत्येक) -30 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड(200 मिली प्रत्येक) -10 लीटर (कुल 118 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 13 अभियुक्तगण नाम पता 1- अखिलेश चौधरी पुत्र राधेश्याम निवासी डुमरिया बाबू 2- आनन्द कुमार पुत्र फेकूराम निवासी काजीपुर रेहरवा मगहर 3- समशुद्दीन पुत्र मो0 सर्रीफ निवासी जिगिना 4- प्रमोद कुमार पुत्र रामलोरिक निवासी देवापार 5- मुकेश पुत्र राजेश निवासी बंजारीपुर 6-गौतम पुत्र रामनरायन निवासी बयारे 7- नौशाद अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी काजीपुर मगहर 8-बीरबल प्रसाद पुत्र मेहीलाल निवासी चंगेरा मंगेरा 9-रामलौट हरिजन पुत्र उदई हरिजन निवासी बगहिया 10- राजेस निषाद पुत्र मंहगू निवासी किड़हिरिया 11-रामजनक गौड़ पुत्र स्व0 भुल्लुर गौड़ निवासी चोकहर 12-गंगाराम शर्मा पुत्र स्व0 हरिशर्मा निवासी बड़गो 13- अनिल पुत्र सिरपत निवासी डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-05-10-10-10-10-10-10-10-10- 35 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड(200 मिली प्रत्येक) -30 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड(200 मिली प्रत्येक) -10 लीटर (कुल 118 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 343/21, 344/21, 345/21, 346/21, 347/21,348/21, 349/21, 350/21, 351/21, 352/21, 353/21, 354/21 व 355/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री गयासुद्दीन खां, उ0नि0 श्री श्यामकन्हैया दूबे, उ0नि0 श्री अनिरुद्ध सिंह, उ0नि0 श्री शशिकान्त तिवारी, उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्र, उ0नि0 श्री प्रभात सिंह मय हमराहीगण ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 10-10-10-20-20-20-20-20-20-20 लीटर (कुल 170ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 10 अभियुक्तगण नाम पता 1- पंचम पुत्र मिठाईलाल निवासी मण्डेराशुक्ल 2- लालजी निषाद पुत्र मुन्नर निवासी चुपरापूर्वी 3- सियानन्द पुत्र स्व0 पतिराज निवासी रामपुर दक्षिणी 4- रामसहाय पुत्र स्व0 विश्वनाथ निवासी बालमपुर 5- बाबूराम पुत्र रामसुभग निवासी बालमपुर 6- सिकन्दर चौहान पुत्र रमायन निवासी बभनौली 7- उमेश चौहान पुत्र जवाहिर चौहान निवासी घोरांग 8- सुरजु पुत्र रामजीव निवासी औरहवा 9- ध्रुपद पुत्र बसन्त निवासी औरहवा 10- धर्मराज पुत्र अकालू निवासी मंझरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से क्रमशः 10-10-10-20-20-20-20-20-20 लीटर (कुल 170ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 259/21, 260/21, 261/21, 262/21, 263/21, 264/21, 265/21, 266/21, 267/21 व 268/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री बृजमोहन सिंह, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 श्री संजय सिंह, हे0का0 श्री सर्वानन्द सिंह, हे0का0 श्री विजय सिंह, हे0का0 श्री राधेश्याम वर्मा, हे0का0 श्री विनोद यादव, हे0का0 श्री अशोक कुमार आदि ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 10-10 ली0 (कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्तगण नाम पता 1- शनि कुमार पुत्र पंकु कुमार निवासी अलीनगर 2- सदानन्द गुप्ता पुत्र वृन्दावन गुप्ता निवासी कड़सर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 162/2021 व 164/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, कका0 सन्तोष यादव, का0 राजन यादव ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता सत्येन्द्र साहनी पुत्र बेलास निवासी बेलौली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को

गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 136/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जुबेर अली, हे0का0 रामविनय यादव, का0 गुफरान अहमद ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता बशीर अहमद उर्फ चवन्नी पुत्र मख्तार अहमद निवासी सोनौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 154/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उदयशंकर द्विवेदी, हे0का0 परमेश मिश्रा, हे0का0 सुशील यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दुर्घटना में घायल बच्चे को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत बसवारी से इवेन्ट संख्या 05094 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक बच्चे के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 01 मिनट में दुर्घटना में घायल बच्चे का इलाज कराकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल बच्चे का इलाज कराकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –उ0नि0 श्री राधिका प्रसाद, आरक्षी ऋषभ राय, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 140 वाहनो से 102000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 140 वाहनो से 102000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।